

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

पूनम आदि बनाम सुमीर कुमार आदि

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीए नम्बर 171 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/ 239

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.06.2025	<p>वादीगण पूनम पत्नी सुमीर कुमार जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान दास ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीए प्रस्तुत किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.07.2025 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>सहायक कलक्टर एवं फर्द उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)</p> <p>15<sup>07</sup>/<sub>25</sub> वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 RTA नोटप्रेस किया। वादीगण अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादीगण अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र नोटप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली गिणीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>सहायक कलक्टर एवं फर्द उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)</p>	<p>सम्मन जारी 303 <u>12/06/25</u></p> <p><i>[Signature]</i> Note Pass अधिवक्ता फर्द</p>

